

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. OF 2015

Phul Kumari Devi.....petitioner.

Versus

The State of Bihar and ors.....Respondents.

Synopsis of the case.

1. That the writ petitioner by this writ petition seeks indulgence of the Hon'ble Court for the following reliefs:-

I. For issuance of a writ in the nature of Mandamus for giving a direction to registered the selection of the petitioner School Education Committee as she is dully been selected on the post of secretary of the Newly created school Lakshminiya after adopting due process of appointment

II. For a giving direction /command to the respondents authority i.e. Block Education Officer ,Cahusa to take further action of the registration of selection of the petitioner on the post of Secretary of School Education Committee Chausa NewlyCreated Lakshminiya school

III. For a giving direction to open a joint bank account in the name of the petitioner and Headmaster after registration of the selection of the petitioner as Secretary as because fund of the Posahar and scholarship amount has been received in the said school in the year 2014-15.

IV. For further direction to the concern respondent to not disturb the newly elected secretary and members and function of the school.

V . For any other relief/reliefs for which she would be found entitled under the facts and circumstances of the case.

<u>Date</u>	<u>Events</u>
4.8.14	A notice has been given to the Present of school of ward no.14 and also the parents of the school.
5.8.15	A proceeding has been done in presence of authority.
3.9.14	The Head Master has given a application to respondent no.4
7.10.14	An application has also given to D.E.O ,Madhepura.
20.11.14	The Headmaster also given an application to BEO, Chausa.
30.12.14	An application has also given to the respondent no.1 by the Head master of the school.
28.1.15	A show cause has been asked to the Head Master by the Pr. and Education Officer, Chausa.
2.2.15	The Head Master has given the reply to the show cause .

Hence this writ application.

IN THE COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. NO. OF 2015

SUB:- Other Misc.


Phul Kumari Devipetitioner.

Versus

The state of Bihar and ors Respondents.

I N D E X

- 1.Main petition with affidavit 1 to 8
- 2.Annexure.1 A copy of the notice dt.4.8.14.
series 10-12
- 3.Annexure.2 A copy of proceeding dt.5.8.14
Series 13-20
- 4.Annexure 3 A copy of the selected member 21-22
- 5Annexure 4. A copy of the Chart. 22-23
- 6.Annexure 5 A copy of the representation 23-24
- 7.Annexure 6 A copy of the representation 24-25
- 8.Annexure 7 A copy of the representation 25-26
- 9.Annexure 8 A copy of the petition 26-27
- 10..Annexure 9 A copy of the order dated 28.1.15 27-28
- 11.Annexure 10 A copy of the order dt.2.2.15. 28-29
- 12.Vakalatnama



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. OF 2015

In the matter of an application under Article 226 of
the constitution of India.

And

In the matter of:-

Phul Kumari Devi w/o of Arun Choudhary , resident of village Chausa
Lakshminiya P.S Chausa , district Madhepura .

...Petitioner

Versus

- 1.The State of Bihar through the principal Secretary, Education department
,Bihar,Patna
2. The District Magistrate, Madhepuyra .
3. The District Education Officer, Nawadah
4. The District Programme Officer, Madhepura .
- 5 . The Block Education Officer , Chausa , Block district , Madhepura
6. The Child Development Project Officer, Chausa Madhepura
- 7.Bechan Mandal son of Brahmi Mandal Ward member of 14 cum President
School Education School, Newly Middle schill, Lakshminiya
Prakhand, p.s. Chausa ,district Madhepura.

...Respondents.

To,

The Hon'ble Mr Justice L.Narasimha Reddy , the Chief Justice of the
High Court of Judicature at patna and his companion Justices of the said
Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above
named,

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That the writ petitioner by this writ petition seeks indulgence of the Hon'ble Court for the following reliefs:-

I. For issuance of a writ in the nature of Mandamus for giving a direction to registered the selection of the petitioner School Education Committee as she is dully been selected on the post of secretary of the Newly created school Lakshminiya after adopting due process of appointment

II. For a giving direction /command to the respondents authority i.e. Block Education Officer ,Cahusa to take further action of the registration of selection of the petitioner on the post of Secretary of School Education Committee Chausa NewlyCreated Lakshminiya school

III. For a giving direction to open a joint bank account in the name of the petitioner and Headmaster after registration of the selection of the petitioner as Secretary as because fund of the Posahar and scholarship amount has been received in the said school in the year 2014-15.

IV. For further direction to the concern respondent to not disturb the newly elected secretary and members and function of the school.

V . For any other relief/reliefs for which she would be found entitled under the facts and circumstances of the case.

2. That foregoing reliefs are being sought for on and amongst the following grounds:-

- I. For that the school Education Committee has been constituted the rules framed for the purpose in a meeting of guardians of the admitted students in roll of the school .
 - II. For that amended rules 13(2) of the part V of Bihar State Children's free and compulsory education to the children of amended rules 2013
 - III. For that the meeting to constitute the school education committee of Newly Created Lakshminia School has been convened notice to the parents of the students of the said school or Chairman of ward members..
 - IV. For that the other ground/grounds shall be urged at the time of hearing of the mater.
 - V. For that the actions of the respondents are not sustainable in the eye of law..
3. That the petitioner is the citizen of India and she resides within the territorial Jurisdiction of the Hon'ble Court .hence she is entitled to invoke the prerogative Jurisdiction of the Hon'ble Court.
 4. That the petitioner was the elected Secretary of Newly Created School Lakshminiya
 5. That under the right to free and compulsory education to children a Act2009,Bihar State had framed rules in the year 2011 for the effective implementation of the act within the territory of Bihar province.

6. That it was felt to amend the rules of 2011 accordingly part V of the Bihar state Children's free and compulsory education rules amended in the year 2013 and issued a notification by the principle Secretary Education Department under memo no. 8 Vi 3-157/3004 Ansh I -318 dated 16.9.2013.
7. That it has been decided to constitute school education committee for each and every school run by the State Government/local bodies it has been decided further that there would be 50 member of total number of member of that one particular school.
8. That amended rule 13(2) (Ka) of the aforesaid rules provides that ward member of concerned ward of Gram Panchayat urban body where the school locates would be the ex office chairman.
9. That school Education committee for the Chausa Gram Panchayat Lakshhminiya Block Chausa was also to be constituted. It would be relevant to submit that said is situated in ward no.14.
10. That after notification of the Principal Secretary ,Education Department , Bihar Patna the Head Master of the Newly Middle School Lakshminiya given a notice to the Ward member of the said School and the parents of the school regarding the selection of the School committee on 5.8.14 and the ward member received the noticed on 4.8.14.

A copy of the notice dated 4.8.14 is annexed hereto and marked as Annexure 1series to this petition.

11. That thereafter as per the rule and regulation the Headmaster of the school parents , Observer and co-ordinator are present for the selection of the School Committee and proceeding started and after all process the petitioner selected the Secretary of the Newly Middle School ,Lakhsminia Chausa East.

photo copy of the proceeding dated 5. 8.14 is annexed hereto and marked as A Annexure 2 series to this petition/

12. That it is relevant to mention here on the selection proceeding the Head Master and Observer appointed by the Block Education Officer, Chausa and elected secretary has signed the proceeding .

13. That it is relevant to mention here that thereafter seven member of the said school has been selected and out of seven member elected the petitioner as a Secretary of the school Education Committee.

A copy of the selected member is annexed hereto and marked as Annexure 3 to this petition.

14. That it is relevant to mention here that thereafter the headmaster of the school prepared the chart of the selected member and given the Block Education Officer, Chausa for registration,

A copy of the chart is annexed hereto and marked as Annexure 4 to this petition

15. That thereafter in connivance with the Chairman of School Education committee and respondent no.5 created problem for registration of the selection of school Education Committee thereafter the Head Master given an application to the District Programme Officer, on 3.9.2014 regarding the registration of the selection of the petitioner and others.

A copy of the representation dated 3.9.14 is annexed hereto and marked as Annexure 5 to this petition.

16. That the Head master of the said school also given an application to the District Education Officer, Madhepura for the same reliefs on 7.10.14.

A copy of the application dated 7.10.14 is annexed hereto and marked as Annexure 6 to this petition.

17. That thereafter the Head master on 20.11.14 also given an application to the Block Education Officer, regarding the registration of the selection of the Committee.

A copy of the application dated 20.11.14 is annexed hereto and marked as Annexure 7 to this petition.

18. That on the application dated 20.11.14 given by the Head master to the Block Education Officer, Chausa the B.E.O given a direction to Block Extension Education Officer, on 3.12.14 to taken necessary action and given the complete report of the election. But till date no any action has been taken or not registered the selection of the committee due to which no conducting the account and created the problem .

19. That it is relevant to mention here that the action of the respondent no.5 is arbitrary ,malafide and in connivance with the President the salary of the Head master has stopped and demanded two lakh rupees by the President and Mukhiya in this connection the Head master also given an application before the respondent no.1 but till date no action has been taken .

A copy of the application dated 30.12.14 is annexed hereto and marked as Annexure 8 to this petition.

20. That the Block education Officer, Chausa Madhepura by memo no.37 dated asked the clarification to the Head master regarding not distribution the amount of the Posak and scholar ship .

A copy of the memo no.37 dated 28.1.15 is annexed hereto and marked as Annexure 9 to this petition.

21. That in compliance of the order dated 28.1.15 the Head Master of the Newly Middle School, Chausa has given an reply to the Prakhand Education

officer, Chausa on 2.2.14 and stating therein that the President of the Ward member no.14 has pending for registration for ulterior reason due to that reason the bank account has not open and not distribution the amount and the Head master and other officer several times approach the respondent no.7 for participating the proceeding but no appeared and on anomalously decision of the villagers in presence of the Head master the selection has been made by the villagers and due to that reason the registration of the school selection committee has pending in connivance with the respondent no.5

22. That despite of representations to the District Magistrate, and departmental authorities now has taken pain to hear and to redress the legitimate grievance of the petitioner ultimately in absence of any efficacious and expedient remedy the petitioner is approaching the prerogative Jurisdiction of the Hon'ble Court.

23. That the petitioner has not move any such petition before this Hon'ble Court in earlier occasion.

It is, therefore, humbly prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue rule NISI calling upon the respondents above named to show cause as to why they should not be commanded and called upon to grant reliefs sought for herein para 1 above and on cause being shown, on return of the rule, make the same absolute by granting the reliefs sought for in para 1 above.

And for
 Pass such other order or orders as your Lordships shall see fit
 And for the petitioner shall now proceed

Affidavit

I, Phul Kumari Devi W/o Arun Choudhary , aged about 31 years ,Resident of village Chausa Lakshminia east ,P.S. Chausa , district Madhepura ,do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1/ That I am petitioner . in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case .

2. That the contents of the petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same they are true to the best of my knowledge

3. That the statements made in paragraph no. 1,2,3,4,5,6,7,8,, Are true to my knowledge and those

Statement made in paragraph nos,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, and 21

Are true to my information and derived from the records of the case and rests are by way of submission to this Hon'ble Court.

4. That the annexure are photo / true copy of its originals.

एनेक्सचर-1

रूचना-19

पेज 1

दिनांक

उ०म०वि० लक्ष्मीनियां के अध्यक्ष को सुचित किया जाता है कि विद्यालय शिक्षा समिति का पुर्नगठन किया जाना है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है इसलिए आग्रह है कि दिनांक 5.8.14 को 11.00 वजे पूर्वाहन में विद्यालय प्रागण में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

विद्यालय शिक्षा समिति के

सुभाषचन्द्र सिंह

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

बेचन मंडल

प्र०अ०

4.8.14

4.8.14

१/

एनेरसयुक्त २

उ०म०वि०लक्ष्मीनियों के पोषक क्षेत्र के छात्रों के माता पिता को सुचित किया जाता है कि विभागीय ओशानुसार दिनांक 5.8.14 को विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाना है। इसलिए अनुरोध है कि 11.00 वजे पूर्वान में विद्यालय प्रांगण मे उपस्थिति होने का कष्ट करेंगे। साथ ही अनुरोध है कि विद्यालय में नामांकित छात्रों को नियमित विद्यालय भेजने का कष्ट करेंगे।

सुभाष चन्द्र सिंह

4.8.14

छात्रों के माता पिता का हस्ताक्षर

1. अरुण चौधरी
2. साजन कुमार
3. पवन कुमार चौधरी
4. दीपक कुमार
5. बौधना चौधरी
6. गौधी चौधरी
7. सदानन्द चौधरी
8. मिथलेश कुमार रजक
9. कुन्दन देवी
10. पूजा देवी
11. रीना देवी
12. शिकुमार पासवान
13. अजय पा०

12

14. नाजीर कुमार पासवान
15. कमल कुमार पा०
16. सावित्री देवी
17. मातम कुमार रजक
18. निर्मल कुमार पा०
19. नि० निर्मला देवी
20. फुलो देवी
21. विजय कु० चौधरी
22. राजकुमार पासवान
23. गणेश चौधरी
24. नि० कैलाश रजक
25. रणवीर चौधरी
26. मंदू कुमार चौधरी
27. किरण भारती
28. छोट्टु चौधरी
29. गनौरी कु० चौधरी
30. ब्रजेश कुमार राज
31. कंचन देवी
32. निशी कुमारी
33. अनारकली कुमारी
34. एम० के० निराला
35. मुक्ती पासवान
36. सुबोध मंडल
37. कमलेश्वर मंडल
38. खंतर मंडल

13

एनेक्सचर-3

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार

सरकार पटना के ज्ञापांक 8 वि.3-157 /2003 अंश-1-318 दिनांक 16.9.2013 के अधिसूचना के आलोक में विहार राज्य वच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 'संयोजक' नियमावली 2013 के तहत जि०शि०समिति के गठन हेतु आज दिनांक 5.8.2014 के पूर्वाहन मं उ०म०वि० लक्ष्मीनियां के प्रांगण में वि०के पोषक क्षेत्र के अभिभावकगण एवं माटा सदस्यों की बैठक आहुत की गई। जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति में श्री सुभाषचन्द्र सिंह प्र०अ०के द्वारा की गई। आहुत बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थिति हुए।

उपस्थित सदस्यगण का हस्ताक्षर सुभाषचन्द्रसिंह

एवं निशान

प्र०अ०

1. अरुण चौधरी

5.8.14

2. बौध ना० चौधरी

3. नन्दलाल रजक

4. भास्कर मंडल

5. मिथलेश रजक

6. नि० कैलाश रजक

7. बबलु कुमार चौधरी

4

- 8.धमेन्द्र कु०चौधरी
- 9.नि०कोको शर्मा
- 10.नारद कुमार
- 11.रघुनाथ मंडल
- 12.अशोक चौधरी
- 13.राजा कुमार चौधरी
- 14.विन्देशरी चौधरी
- 15.मनोज चौधरी प्रवीण कुमार
- 16.बादशाह कुमार चौधरी
17. फूल ककुमारी देवी
- 18.गनौरी चौधरी
- 19.अहकी चौधरी
- 20.सावित्री देवी
- 21.सदानन्द चौधरी
- 22.विनोद पासवान
- 23.नि०बिमला देवी
- 24.कंचन देवी
- 25.नि०ललिता देवी

- 26.नि०राजेन्दर मंडल
27.सोनामती देवी
28.रीना देवी
29.नि०ञ्जना देवी
30.अंग्रेज कुमार पासवान
31.हिरण देवी
32.दुलारी देवी
33.आशा देवी
34.रीता देवी
35.पिकी देवी
36.फुल कुमारी देवी
37.सुलेखा देवी
38.जुली देवी
39.नि०निर्मला देवी
40.मधु कु०सिंह'रंजो देवी
41.रूपा देवी
42.मुरलीधर शर्मा

43. नि० लालमुनि देवी
44. नि० जांगी मंडल
45. पप्पू कुमार मंडल
46. वकिल मंडल
47. लखनलाल शर्मा
48. निभा देवी
49. धनेश शर्मा
50. मटुकी मंडल
51. पंकज कुमार रजक
52. वकिल शर्मा
53. प्रमोद कुमार मंडल
54. सुचित मंडल
55. बिकाश कुमार
56. आशा देवी
57. कंचन देवी
58. इन्द्रदेव पासवान
59. संगीता देवी
60. चंदन कुमार
61. रामचन्द्र चौधरी नि० विपीन शर्मा
62. महेन्द्र चौधरी
63. धर्मशीला देवी
64. नि० उपेन्द्र मंडल
65. शिवकुमार पासवान
66. सुवोध मंडल

12

सदस्यो का चयन-

वि०के पोषक योजनान्तर्गत सामान्य कोटि नही रहने के कारण सामान्य कोटि -रिक्त

पि०व०में वर्ग अष्टम की छात्रा काजु कुमारी की माता श्रीमती रीता देवी पति श्री छगुरी जायसवाल एवं खुशी कुमारी वर्ग चतुर्थ की माता श्रीमती विभा देवी पति विनोद जायसवाल सर्वसम्मति से चयनित हुई।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में राहुल कुमार वर्ग अष्टम की माता फुलकुमारी देवी पति श्री अरुण चौधरी एवं पुजा कुमारी वर्ग 6 की माता श्रीमती रंजु देवी पति पवन ठाकुर सर्व सम्मति से चयनित हुई।

अनुसुचित जाति में ललिता कुमारी वर्ग 02 की माता श्रीमती रीना देवी पति श्री नन्दलाल रजक एवं अनीषा कुमारी वर्ग चतुर्थ की माता श्रीमती हिरण देवी पति श्री शिवकुमार पासवान सर्व सम्मति से चयनित हुई।

विकलांग कोटि में गूंजन कुमारी वर्ग चतुर्थ की माता सोनामति देवी पति धर्मदेव चौधरी चयनित हुई। भूदाता में श्री महेन्द्र चौधरी पिता श्री महावीर चौधरी

एवं मीनामंच से लक्ष्मी कुमारी पिता श्री आशोक चौधरी
चयनित।

महीला साख्या -रिक्त

ययनित सदस्यगण- हस्ताक्षर

- 1.श्री वेचन मंडल वार्ड सदस्य वाड 014
- 2.श्री सुभाषचन्द्र सिंहप्र0अ0-सुभाषचन्द्र सिंह
- 3.श्रीमती ममता कुमारी 'वरीय शिक्षिका- ममता कुमारी
- 4.भूदाता महेद्र चौधरी- महेद्र चौधरी
- 5.सामान्य कोटि
- 6.सामान्य कोटि -रिक्त
- 7.रीता देवी पि0वर्ग रीता देवी
- 8.निभा देवी पि0वर्ग -निभा देवी
- 9.फुलकुमारी देवी ,अ0पि0व0 फुलकुमारी देवी
- 10.रंजु देवी -रंजू देवी
- 11.हिरण देवीअ0जा0 हिरण देवी
- 12.रीना देवी अ0जा0 -रीना देवी
- 13.सोनामणि देवी विकलांग -सोना मनी देवी
- 14.महीला सामाख्या-रिक्त
15. ”

16. राहुल कुमार छात्र प्रतिनिधि-राहुल कुमार

17. लक्ष्मी कुमारी- लक्ष्मी कुमारी

प्रस्ताव सं०१-माता सदस्यों के चयन के प्रश्नात श्रीमती रीना देवी ने सचिव पद के लिए श्रीमती फुलकुमारी देवी पति श्री अरुण चौधरी क नाम सचिव पद हेत प्रस्तावित की जिसे सभी माताओं ने सर्व सम्मति से सचिव पद पर श्रीमती फुलकुमारी देवी पति अरुण चौधरी को चयनित की।

प्रस्ताव सं०२- सर्वसम्मति से सभी माताओं ने श्री मती फुलकुमारी देवी का सचिव बनने पर वधाई दी एवं वि०शि० समिति की नियुक्ति बैठक करने एवं विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु सुझाव दिया। साथ ही प्र०अ०के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई

अध्यक्ष

सुभाषचन्द्र सिंह

फूलकुमारी चौधरी

प्र०अ०

सचिव

समान्यक

5.8.14

ह०अ०

पर्यवेक्षक

5.8.14

५

एनेक्सचर-३

उ०शि०वि०स०में माताओं का विवरणी

Sl n0	ययनित माता का नाम	पति का नाम	कोटि	अध्ययन व छात्र/छात्राओं का नाम	वर्ग	वर्ग क्रमांक	प्रवेश सं० तिथि	उपस्थिति
1	रीता देवी	श्री छंगरी जायसवाल	पि०व०	काजु कुमारी	VIII	01	49/17-4-09	92
2	निभा देवी	विनोद जायसवाल	पि०व०	खुशी कुमारी	IV	05	54/14.4.11	92
3	फुलकुमारी देवी	अरुण चौधरी	अ.पि.व०	राहुल कुमार	VIII	02	47/4.4.09	91
4	रीना देवी	नंदलाल रजक	अ.पि.व०	ललिता कुमारी	II	06	13/1.4.13	92
5	हिरण देवी	शिवकुमार पासवान	अ.पि.व०	अनिश कुमारी	IV	21	43/14.4.11	93
6	रंजो देवी	पवन ठाकुर	अ.पि.व०	पूजा कुमारी	VI	19	63/15.4.11	91
7	सोनामती देवी	धर्मदेव चौधरी	अ.पि.व०	गुंजन कुमारी	IV	19	95/26.9.12	91

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भी०एस०एस० गठन हेतु घयनित उपरोक्त माताओं के पुत्र/पुत्री पति /उ०म०विद्यालय लक्ष्मीनियां में नियमित रूप अद्यतन अध्ययनरत है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा/होऊँगी।

ह०

समन्यवक

सुभाशचन्द्र सिंह

प्रधानाध्यापक

एनेक्सचर--६

सेवा में,

श्रीमान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्र०शि०एवं सर्व शिक्षा अभियान मधेपुरा

विषय- 30म०वि०लक्ष्मीनियां ,चौसा'मधेपूरा' में दिनांक 5.8.14 को हुए वि०शि०स० के चयन को निबंधित करवाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सादर निवेदन करना है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 5.8.14 को 30 म० वि० लक्ष्मीनियां चौसा मधेपुरा में पर्यवेक्षक रामप्रकाश रेणु बी.आर.पी. चौसा एवं दयाशंकर शर्मा स० शि० 30 म० वि० बड़की बदौना चौसा के द्वारा वि०शि०स०का चयन मेरे उपस्थिति में किया गया और चयनित सदस्यों ने मिलकर सचिव का भी चयन किया लेकिन वि०शि०स०के अध्यक्ष बेचन मंडल ने षडयंत्र रचकर मुझे परेशान करने के नियत से निबंधन में अड़चन डाले हुआ है और संबंधित पदा०इनके षडयंत्र को समझे बिना निबंधन में टालमटोल कर रहे है।

चुंकि नव चयनित सचिव के पति के द्वारा वि०शि०स०के निबंधन हेतु जनता के दरवार में जिला पदा०मधेपुरा को आवेदन दिया है आवेदन केआलोक में वरीय पदा०द्वारा भी दिनांक 5.8.14 को हुए वि०शि०स०के चयन को निबंधन करने का आदेश हुआ है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त बातों पर एवं विभागीय परेशानी को देखते हुए विषयांकित तिथि को हुए वि०शि०स० के चयन को अपने स्तर से निबंधन करवाने की कृपा कीजाय जिससे कि विद्यालय विकास आदि कार्य अवरुद्ध न हो सके।

1. प्र०शि०पदा०चौसा को

श्रीमान का विश्वासभाजन

दिये गये आवेदन की छाया

सुभाषचन्द्र सिंह

प्रति।

3.9.14

एनेक्सचर-8

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी

चौसा।

विषय- नवगठित वि०शि०वि० वि०स०को निबंधित करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन हे कि उ०म०वि० लक्ष्मीनियां मे दिनांक 5.8.14 को हुए नवगठित वि०शि०स०का निबंधन नही होने के कारण अभी तक नये सचिव के द्वारा खाता का संचालन नहीं हो सका है जिससे कि विद्यालय में म०मो०कार्यक्रम बंद है एवं निकासी नही होने के कारण अव्य काम भी बांधित है। आगे पोशाक आदि का कार्य भी नये सचिव के द्वारा खाता संचालन के कारण बांधित हो जायेगा।

अतः श्रीमान से निवेदन हे कि उपर्युक्त बातो पर ध्यान देते हुए नवगठित वि०शि०स० को निबंधित करने की कृपा की जाय। जिससे कि नये सचिव के द्वारा खाता का संचालन हो सके एवं विद्यालय का काम सुचारु रूप से हो सके।

बी.ई.ईओ.

विश्वासभाजन

जांचकर अधेहस्ताक्षरी के

सुभाषचन्द्र सिंह

प्रतिवेदित थे,यदि निर्वाचन

प्रधानाध्यापक

हुआ है तो निबंधित करें

उ०म०वि०लक्ष्मीनियां चौसा

ताकि आगे की कारवाई की

20.11.14

जा सके।

मुझे कम्पलीट

रिपोर्ट चाहिए।

ह०/-

8.12.14

सेवा में

श्रीमान् प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पटना।

विषय :- मधेपुरा जिला के चौसा पूर्वी के मुखिया कुमारी माला व मुखिया पति अभिनंदन मंडल व बेचन मंडल पिता - ब्रह्मी मंडल तार्ड सदस्य 14 सह अध्यक्ष वि० शि० स० उ० म० वि० लक्ष्मीनियाँ प्रखंड चौसा ने मिलकर मुझसे दो लाख रंगदारी माँगने पर नहीं देने पर षड्यंत्र रचकर मुझे तंग तबाह करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं शुभाषचन्द्र सिंह प्रधानाध्यापक उ० म० वि० लक्ष्मीनियाँ प्रखंड चौसा जिला मधेपुरा। मैं प्रोन्नति के फलस्वरूप जनवरी 2013 में विद्यालय में पदस्थपित हुआ हूँ।

विदित हो कि विषयांकित व्यक्तियों ने मिलकर जिस तरह पंचायत के योजनाओं को हजम कर रूपया कमाते आ रहे हैं उसी तरह से दबंगता दिखाकर मनमानी कर षड्यंत्र रचकर बावजबदन विद्यालय के कामों में अनियमितता कर व प्र० ग्र० से करवाकर राशि को हजम करते आ रहे हैं। अध्यक्ष अपराधी प्रवृत्ति का है। यह पूर्व में अपहरण, हत्या कांड में जेल जा चुका है।

विदित हो कि चौसा पूर्वी मुखिया व मुखिया पति ने मिलकर पंचायत के योजनाओं को हजम कर एवं जैसे जैसे काम कर अवैध रूप में अपार सम्पत्ति अर्जित कर लिया है उस पर भी नहीं मन भरता है तो विद्यालय प्रधान से भी मोटी रकम वसूलते आ रहे हैं। श्रीमान् अवैध सम्पत्ति की जाँच सी० आई० डी० से करने की कृपा की जाय।

श्रीमान् विषयांकित व्यक्तियों ने मिलकर एक से एक कारनामों का प्रयोग कर विद्यालय के कामों में अनियमितता कर व करवाकर राशि को हजम करते आ रहे हैं एवं प्रधानाध्यापक से मोटी रकम वसूलते आ रहे हैं। नहीं देने पर प्र० ग्र० पर षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं।

श्रीमान् विषयांकित व्यक्तियों द्वारा हर हमेशा मुझे धमकी दिया जा रहा है। कि जल्द मांगे गये रंगदारी चुकता कर दे नहीं तो चैन से जीने नहीं देंगे और आप हमलोगों के षड्यंत्र से बच नहीं सकते।

विद्यालय के कामों में विषयांकित व्यक्तियों के द्वारा किये गये मनमानी एवं अनियमितता का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न है।

श्रीमान् अध्यक्ष के षड्यंत्र का सामना करते हुए दिनांक 05.08.2014 को वि० शि० स० का पुनर्गठन करवाये इनका प्रमाण संलग्न है फिर भी प्र० शि० पदा० चौसा अध्यक्ष के दबाव में आकर इनके षड्यंत्र को समझे बिना नवगठित सदस्यों का निबंधन नहीं कर उल्टे मेरा ही वेतन स्थगित कर दिया है इससे मेरे परिवार का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन में संलग्न आवेदन एवं प्रमाण को बिन्दुवार नजर आकृष्ट करते हुए मेरे द्वारा दिये जा रहे अर्जी आवेदनको न्याय देने की कृपा की जाय एवं विषयांकित व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए नवगठित शिक्षा समिति को निबंधन करवाने की कृपा की जाय जिससे कि विद्यालय का काम सुचारु रूप से चल सके एवं विद्यालय में स्वच्छ शैक्षणिक माहौल बन सके।

अनुलग्नक

1. संबंधित पदा० को पूर्व में दिये गये आवेदन एवं प्रमाण के रूप में कागजात की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

30.12.2014

कुल - 27 पन्ना

पत्रांक37/

A. G.

27

प्रेषक - प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चौसा।

सेवा में,

प्र० अ० / प्र० प्र० अ० / प्र० शि०

म० वि० / प्र० वि० / नव० प्रा० वि०.....अहमदनगर

चौसा, दिनांक28.1.15

विषय - पोशाक/छात्रवृत्ति की राशि प्राप्ति के बाद भी पूर्ण वितरण नहीं करने संदर्भित स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि वर्ष 2014-15 में छात्र/छात्राओं को पोशाक/छात्रवृत्ति हेतु राशि आपके विद्यालय शिक्षा समिति के खाता में उपलब्ध करा देने के बाद भी विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को आपके द्वारा सभी लाभान्वित बच्चों को राशि वितरण नहीं की गई। राशि प्राप्ति के फलस्वरूप निर्धारित तिथि को सभी बच्चों को पोशाक/छात्रवृत्ति की राशि हस्तगत नहीं कराना आपके मनमानेपन, लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

अतः पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर आप सभी बच्चों को राशि हस्तगत नहीं कराने का कारण सहित स्पष्टीकरण विद्यालय शिक्षा समिति के खाते की अद्यतन छायाप्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। ससमय संतोषजनक कारण एवं साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर आपके विरुद्ध आवश्यक कारवाई की बाध्यता होगी। तत्काल आदेश की अवहेलना एवं बच्चों को लाभ से वंचित करने के आरोप में आपका वेतन/मानदेय अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

विश्वासभाजन

[Signature]
28.1.15

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
चौसा (मधेपुरा)।

20
एनेक्सचर-10

पत्रांक-22

प्रेषक,-प्रधानाध्यापक

उ०म०वि०लक्ष्मीनियां

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ,चौसा

लक्ष्मीनियां दिनांक 2.2.2015

विषय-भवदीय कार्यालय के पत्रांक 37 दिनांक 28.1.15 के आलोक में

स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

इपर्युक्त विषयक संबंध में निवेदन करना है कि उ०म०वि० लक्ष्मीनियां के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य 14 के बेचन मंडल पिता ब्रह्मी मंडल ने नीजी स्वार्थ हेतु दिनांक 5.8.14 को हुए नवगठित शिक्षा समिति को निबंधन में षडयंत्र रचकर लंघित कर रखा है और निबंधन नहीं होने के कारण नये सचिव के द्वारा खाता का संचालन नहीं हो सका है। जिस कारण वि०शि०स० केखाते से निकासी नहीं होने के कारा लाभान्वित होने वाले बच्चो को राशि हस्तगत नहीं कराया गया है।

विदित हो कि पूर्व में जो अध्यक्ष ने तदर्थ समिति का अपने मनमाने से विना ग्रामिणो की उपस्थित हुए विना गठन किया है एव विद्यालय भूमि का डाक किया है इसका प्रमाण पंजी की छाया प्रति संलग्न है एवं पूर्व प्र०अ०द्वारा अध्यक्ष उपस्थित होते हुए भी अध्यक्षता कराया है लेकिन नही अध्यक्ष को समन्वयकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा काफी आग्रह करने पर दिनांक 22.7.14 को बैठक में उपस्थित हुए और गठन कराये विना बैठक से निकल गये पुनः दिनांक 5.8.14 को पर्यवेक्षकों के द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष के दरवाजे पर जाकर आग्रह किये गए फिर भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। उनके कृत से ऐसा सावित हुआ कि प्र०अ०को तंग तवाह करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया कि प्र०अ०के द्वारा ही अध्यक्षता कराकर आर.ओ. पी.ओ. और दिनांक 5.8.14 को वि०शि०स०का गठन हुआ। लेकिन अध्यक्ष मुझे तंगतवाह करने के लिए नवगठित शि०स० के नीजी स्वार्थ हेतु विद्यालय को लंघित कर रखा है।

विदित हो कि श्रीमान के द्वारा जो अध्यक्ष का पक्ष लेकर मेरा वेतन स्थगित किये है तब से उनका मनमानी करने एवं मेरे उपर षडयंत्र रचने का मनोबल और बढ़ गया है। अध्यक्ष के षडयंत्र में जो मेरा वेतन बंद पर मुझे घसीट रहे हे इससे मेरे परिवार में आर्थिक संकट पैदा हो गया है परिवार में विमारी एवं अन्य समस्याओं के कारण जीना फयर हो गया है क्योंकि माह अगस्त 2014 से ही मुझे वेतन नहीं मिला है, और माह फरवरी 2015 में वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो रही है।

अतः श्रीमान से निवेदन हे कि आरोप से मुक्त करते हुए अध्यक्ष के रचे षडयंत्र से निकालते हुए मेरा वेतन भुगतान की अनुमति देने की कृपा की जाय जिससे कि मेरे परिवार का जन जीवन सामान्य हो सके।

अनुलग्नक

विश्वासभाजन

- | | |
|--|----------------------|
| 1. तदर्थ व 0शि0स0के चयन की छाया प्रति | सुभाषचन्द्र सिंह |
| 2. विद्यालय जमीन को डावर की छाया प्रति | अध्यक्ष |
| 3. पूर्व प्र0अ0द्वारा कराये गये अध्यक्ष की | उ0म0वि0 लक्ष्मीनियां |
| 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति। | |

27

एनेक्सचर-५

सेवा में,

श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

विषय- 30 म० वि० लक्ष्मीनियां ,चौसा'मधेपुरा' में दिनांक 5.8.14 को हुए वि०शि०स० के चयन को निबंधित करवाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सादर निवेदन करना है कि संबंधित पदाधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 5.8.14 को 30 म० वि० लक्ष्मीनियां चौसा में पर्यवेक्षक रामप्रकाश रेणु बी.आर.पी. चौसा एवं दयाशंकर शर्मा स० शि० 30 म० वि० बड़की बढौना चौसा के द्वारा वि०शि०स०का चयन किया गया और चयनित सदस्यों ने मिलकर सचिव का भी चयन किया लेकिन वि०शि०स०के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य बेचन मंडल पिता ब्रह्मी मंडल ने अपने निजी स्वार्थ हेतु एवं मुझे तंग तवाह करने के नियत से निबंधन में बाधा डाल रहा है।

चुंकि नव चयनित सचिव के पति के द्वारा वि०शि०स०के निबंधन हेतु जनता के दरवार में जिला पदा० को आवेदन 7.8.14 को ही दिये है लेकिन अभी तक निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है। आवेदन के आलोक में वरीय पदा०द्वारा भी दिनांक 5.8.14 को हुए वि०शि०स०के चयन को निबंधन करने का आवेदन दिया गया है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त बातों पर मद्येनजर रखत हुए विभागीय परेशानी को देखते हुए विषयांकित तिथि को हुए वि०शि०स० के चयन को निबंधित करने कृपा की जाय जिससे कि विद्यालय विकास आदि कार्य अवरुद्ध न हो सके।

1. प्र०शि०पदा०चौसा को

श्रीमान का विश्वासभाजन

दिये गये आवेदन की छाया

सुभाषचन्द्र सिंह

प्रति।

6.10.14

१२

एनेक्सचर-६

विद्यालय शिक्षा समिति
निबंधन हेतु प्रपत्र

प्रखण्ड चौसा
जिला मधेपुरा

अनुमण्डल लक्ष्मीनियां पंचायत वार्ड चौसा पूर्वी -14
विद्यालय का नाम-उ०म०वि०लक्ष्मीनियां
निबंधन की तिथि-05.08.2014 निर्वाचन का स्थान-उ०म०वि०लक्ष्मीनियां
उपस्थितचयनित मतदाता की संख्या-07
किनकिन पदाधिकारी का नाम पुरुषोत्तम कुमार पर्येक्षक का नाम राम प्रकाश
रेणु
उपस्थित सदस्यों की सुची माता कम सं० नाम कोटि हस्ताक्षर

01	रीता देवी	पि०व०	रीता देवी
02	विभा देवी	पि०व०	निभा देवी
03	फूलकुमारी देवी	अ०पि०व०	फूलकुमारी देवी
04	रंजो देवी	अ०पि०व०	रंजो देवी
05	हिरण देवी	अ०जा०	हिरण देवी
06	रिना देवी	अ०जा०	रिना देवी
07	सोनामति देवी	5 बच्चे की माँ	सोनामति देवी
08	ममता देवी	वरीयतम शिक्षक	ममता देवी
09	महेन्द्र चौधरी	भूमि दाता	महेन्द्र चौधरी
10	राहुल कुमार	बाल संसदें	राहुल कुमार
11	लक्ष्मी कुमारी	मीना मंच	लक्ष्मी कुमारी

प्रधानाध्याप- सुभाषचन्द्र सिंह
प्रभारी का नाम-बेचल मंडल निर्वाचिक सचिव का नाम-फुलकुमारी देवी
प्रवेक्षक का ह०

पदाधिकारी
शिक्षा पदाधिकारी

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

10

उपस्थित अभिभावकगण एवं माताओं के बीच पर्यवेक्षक राम प्रकाश कुमार रजक एवं श्री दयाशंकर शर्मा के द्वारा विहार राज्य वच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2013 के अधिनियत की धारा 21 एवं 22 के प्रयोजनार्थ प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी चौसा के पत्रांक दिनांक के आदेशानुसार वि०शि०समिति उ०म०वि० लक्ष्मीनिया के गठन हेतु नियमावली को पढकर सुनाया गया एवं विस्तापुर्वक वतलाया गया वि०शि०समिति में कुल 17 सदस्यों का चयन होना है जो इस प्रकार है-

- 1.वार्ड सदस्य-1 पदेन सदस्य
- 2.प्र०अ०-1 पदेन सदस्य
- 3.छात्र/छात्रा जिनकी उपस्थिति 50प्रति०से उपर है उनकी 09 माताओं का चयन
- थप०व०-2
- ट०पि०व०-2
- ट०पि०व० -2
- स०व०-2
- ट०जा०-2
- एवं विकलांग वच्चे की माता -1
- जीविका एवं महिला सामास्या-2
- छात्र प्रतिनिधि-
- बाल-1 0- 2
- मीनामंच-1 0
- वि०के०वरीय शिक्षक -1
- भूदाता -1